राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2017/ 1545 दिनांक 7/7/17

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 273/14 अन्तर्गत धारा 136,131,111,128 भू.रा.अ. अनवान देवा वगैरा बनाम तहसीलदार चौहटन में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त आवेदन में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8/6/17 की पालना निर्णय की प्रमाणित प्रति के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 273/2014

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136,131,111,128 RLR Act

अनवान प्रार्थीगण – **1.देवा 2.रूगनाथ 3.पेमा 4.जोगा 5.रूखमण पि.केसरा 6.चूनी पत्नि केसरा 7.गुला पुत्र वीरमा 8.चिमा पुत्र वीरमा फौत के का.मु. :– 8/1.शोभाराम 8/2.डालूराम पि.चिमनाराम 8/3 रामूदेवी पत्नि चिमनाराम जातियान जाट, निवासी खारावाला, पोकरासर तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।**

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.राजस्थान राज्य :– तहसीलदार चौहटन 2.दोला पुत्र आसूराम 3.जोधाराम 4.पेमाराम 5.नवलाराम 6.चतराराम 7.सताराम 8.डालूराम पि. सिमरथाराम 9.जसा 10.सता 11.खीया 12.चेतन 13.नेना पि. शेरा 14.सालू पुत्र भारू 15.चनणी पत्नि भारू 16.गुणेशा पुत्र लाला 17.तुलछा पुत्र हेमा 18.जोगा 19.धर्माराम 20.राजूराम 21.ओमप्रकाश पि. धनाराम 22.मूलाराम पुत्र गिरधारी 23.देदाराम पुत्र पूराराम 24.भोमाराम पुत्र घमण्डाराम, जाति जाट, निवासी खारावाला, पोकरासर तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

अधिवक्ता – प्रार्थीगण वकील – **श्री पवन धारीवाल**
विप्रार्थीगण वकील –

निर्णय

दिनांक :– 8/6/17

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत खसरा सं. 1170/1080 रकबा 130.04 बीघा मौजा खारावाला तहसील चौहटन में आया हुआ है। इसी प्रकार प्रार्थीगण जो विप्रार्थीगण सं. 2 से 15 का सेढ़ा पड़ौसी है। जिसके खेत खसरा सं. 1169/1080 रकबा जमाबन्दी अनुसार 89.07 बीघा तथा विप्रार्थी सं. 16 से 21 का खेत खसरा सं. 45.13 बीघा है तथा विप्रार्थी सं. 22 से 24 सेड़ा पड़ौसी है। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के बीच बंटवाड़ा होने के पश्चात हल्का पटवारी द्वारा गलत तरमीम की गई जिससे प्रार्थीगण की दोनों सेढ़ों से करीबन 23.00 बीघा भूमि कम हो गई। प्रार्थीगण के खसरा सं. 1170/1080 में रहवासी ढाणी बनी हुई थी जो गलत तरमीम करने की वजह से खेत खसरा सं. 1171/1080 में चली गई। इसलिए प्रार्थीगण ने खेत खसरा सं. 1170/1080

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

रकबा 130.04 बीघा एवं खसरा सं. 1169/1080 एवं विप्रार्थी सं. 2 से 15 का खसरा सं. 1169/1080 एवं विप्रार्थी सं. 16 से 21 का खसरा सं. 1171/1080 के बीच चारों ओर स्पष्ट विभाजन रेखा खींची जाकर सलंग्न वर्तमान मौका फर्द एवं परिशिष्ट "अ" के अनुसार लट्ठा ट्रेस नक्शा में सही तरमीम की जाकर प्रार्थीगण के खेत के चारों तरफ पक्की नेखमबन्दी किये जाने के आदेश करवाने हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1 से 21 व 24 के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त वादग्रस्त के संबंध में तरमीम दुरस्ती हेतु तहसीलदार चौहटन को मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत 2017 कोर्ट कैम्प नेतराड़ में दिनांक 8/6/17 को पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त जो पत्रावली शामिल की गई। पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136,111,128 भू.रा.अ. स्वीकार किया जाकर मौजा खारावाला, पटवार क्षेत्र पोकरासर, तहसील चौहटन के खसरा सं. 1170/1080, खसरा सं. 1169/1080, खसरा सं. 1171/1080 की तरमीम तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय नक्शा अनुसार दुरस्त करते हुए नेखमबन्दी करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार प्रस्तुत मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8/6/17 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प में नेतराड़ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन